खण्ड कठूमर जिला अलवर

/297/2022 तारीख रजू 21.10.22

ही बनाम हरदयाल वगैरा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा 129/527, 130, 131, 135, 136/481, वाके ग्राम गालाखेडा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नही भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 11.11.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 11.11.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) दिनांक 20/1/23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	21/10/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

6/1/24 वकील .... उपस्थित।
पाक्षिक आदेश दिनांक 20/1/23
की पालना में पत्रा. भी वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अर्जी
दिनांक 11/3/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

11/3/24 [illegible] कोर्ट [illegible]
[illegible]
पत्रावली दिनांक 6/5/24
को पेश हो।

6/5/24 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर
बहस वकील सुनी गई। वकील प्रार्थी ने
प्रा० पत्र पेश कर अपने प्रा० पत्र प्रकरण में
लिखित अभिवचनों को दोहराते हुऐ प्रार्थना
पत्र स्वीकार कर रास्ता खोलने [illegible]
[illegible] किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली
में दिनांक 21/1/23 को सभी प्रतिवादी/अप्रार्थीगण
की उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
सायल ने अपने प्रा० पत्र के समर्थन में जमाबंदी
पेश किए जो शामिल पत्रावली है। मैंने
पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का
अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता सायल की
एकपक्षीय बहस सुनी विद्वान अधिवक्ता
ने प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने [illegible]
किया। यदि विवादित रास्ता [illegible]
की खातेदारी की [illegible]
को पाबंद नहीं किया गया तो गैरसायल सायल
को बेदखल कर सकता है। गैरसायल को पाबंद
किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान व
क्षति या असुविधा होती हो ऐसा तरह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं न प्रति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु आवेदक के पक्ष में साबित है अतः अर्जी अ० 39 नि० 1 व 2 स्वीकार कर पत्रावली में जारी स्टे आदेश दिनांक 21.10.22 को निरन्तर रखा, मौसल स्वीकार / खारिज किया जाता है पत्रावली मौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे हुक्म। SDJC 06/5/24	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested